न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका

राजस्व विविध वाद सं० :- 04/2019-2020.

गायत्री देवी वनाम महेन्द्र राम

आदेश

Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
29/9/2023	अभिलेख उपस्थापित । वाद की कार्यवाई प्रथमपक्ष द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारंभ हुई है । वाद की कार्यवाई में उभयपक्ष द्वारा उपस्थिति दी गई है । प्रथमपक्ष का कथन है कि उनके आवेदन को ही जबाब माना जाय जबकि द्वितीयपक्ष द्वारा लिखित जबाब दाखिल नहीं किया गया मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया । प्रथमपक्ष का कथन है कि ग्राम रंका कला के खाता सं० 203 प्लौट सं० 601 में रकबा 0.06 ए० व प्लौट स० 607 में रकबा 0.12 ए० भूमि बन्दोवस्ती पट्टा से भजन राउत व जीवन राउत दोनों पिता स्वरुप राउत को प्राप्त हुआ था । पट्टा प्राप्ति के बाद जमींदार के सिरिस्ते में पट्टा धारी रैयत द्वारा मालगुजारी अदा कर रसीद प्राप्त किया जाता रहा । भूमि के कुछ भाग पर आवास बना कर निवास किया गया । जमींदारी उन्मूलन के पश्चात अंचल कार्यालय रंका में उक्त दोनों रैयत के नामें मांग रजिस्टर 2 पर कायम हुआ । एवं रसीद निर्गत होते रहा । जमींदार द्वारा इस भूमि का रिटर्न कम्पन शेशन केश 02/1953-1954 द्वारा इन्ही दोनों बन्दोवस्त धारी रैयत के नामें दाखिल किया गया है । स्वरुप राउत के पुत्र भजन राउत से पांगुल राम थे इनके दो पुत्र नान्हू राम और ठेधु राम हुए । जो प्लौट 601 के रकबा 0.3 ए० तथा प्लौट 607 के 0.06 ए० कुल 0.09 ए० के हिस्सेदार हुए इनलोग द्वारा अपना 0.09 ए० भूमि विक्री किया जा चूका है । इन दोनों का कोई संतान नहीं हुआ । इससे प्रथमपक्ष को सारोकार नहीं है । बन्दोबस्त रैयत जीवन राउत का भी आधा हिस्सा था । जीवन राउत के दो पुत्र 1.) रामदेव राउत नावल्द मृत हो गये 2.) स्वरुप राउत हुए जिनकी पुत्री प्रथमपक्ष गायत्री देवी है । इसप्रकार 0.03 ए० 0.06 ए० कुल 0.09 ए० जीवन राउत की भूमि गायत्री देवी प्रथमपक्ष की पैतृक भूमि है । जिसपर प्रथमपक्ष दखल काबिज हैं तथा इसपर आवासीय मकान भी है । प्रथमपक्ष मालगुजारी अदा कर रसीद भी कटाने हेतु अंचल कार्यालय में प्रयास की परंतु वहां बताया गया कि जबतक उपर न्यायालय से आदेश नहीं होगा रसीद नहीं कट पायेगा । द्वितीयपक्ष द्वारा इस भूमि के हडपने का प्रयास किया जा रहा है । द्वितीयपक्ष महेन्द्र राम का बन्दोवस्त रैयत से वंशज के रूप में नहीं है । ठेधू राम का कोई संतान नहीं था । लेकिन उसने एक लड़के को अपने घर में रखा था जिसका नाम फेतल राम था । महेन्द्र राम फेतल राम का साला है । जिसका किसी भी प्रकार से जमीन पर हक़, हिस्सा नहीं	

बनता है। लेकिन अपनी बहन से एफिडेविट करा कर यह जमीन हडपना चाह रहा है जो आधारहीन है। प्रथमपक्ष द्वारा ग्राम रंका कला के खाता 203 के प्लौट 601 में रकबा 0.03 ए० तथा प्लौट 607 में रकबा 0.06 का मांग ऑनलाइन गायत्री देवी के नामें दर्ज कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने की प्रार्थना की गई है। द्वितीयपक्ष वाद की कार्यवाई में उपस्थित हुए हैं परंतु कोई कागजात न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किए जिससे स्पष्ट है कि उनके पास इस भूमि के स्वामित्व के कोई वैध दस्तावेज नहीं है। न ही कोई वैध दावा है।

प्रथमपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया एवं वाद का शीघ्र निष्पादन किया जाय की प्रार्थना के साथ अपना पक्ष न्यायालय में रखी गई। वाद की कार्यवाई में दाखिल पक्ष,दस्तावेज की प्रति के अवलोकन पर विचारों परांत ज्ञात हुआ कि ग्राम रंका कला के खाता सं० 203 प्लौट 601 में रकबा 0.06 ए० तथा प्लौट 607 में रकबा 0.12ए० पट्टा द्वारा भजन यादव व जीवन राउत के प्राप्त था। जिसका मांग पंजी 2 के पृष्ठ 97/15 पर मांग कायम होकर रसीद निर्गत हुआ है। प्रथमपक्ष स्व० रुपन राम की पुत्री है। रुपन राम के पिता स्व० जीवन राउत थे। जो पट्टा धारी रैयत थे। इस प्रकार जीवन राउत वाले हिस्सा खाता सं० 203 प्लौट सं० 601 में रकबा 0.03 ए० व प्लौट सं० 607 में रकबा 0.06 ए० कुल 0.09 ए० का वास्तविक वरिश व हक़दार उनकी पोती गायत्री देवी प्रथमपक्ष कार हुए। जो स्पष्ट है। अतः न्यायालय ग्राम रंका कला के खाता 203 प्लौट सं० 601 में रकबा 0.03 ए० तथा प्लौट 607 में रकबा 0.06 ए० कुल 0.09 ए० का मांग गायत्री देवी पति भरत राम के नामें दर्ज कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश देती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी रंका को अनुपालनार्थ भेजें। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

29-09

उप समाहर्ता भूमि सुधार
रंका

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.12.27 15:38:59 +05:30
Location: 192.168.135.59